

क्रमांक: 828  
दिनांक: 13/7/15

प्रेषक: वन मण्डल अधिकारी  
अम्बाला ।

सेवा में: वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,  
हरियाणा, पंचकूला ।

विषय: **Diversion of 0.56 Ha. of forest land for Work of Construction of Parallel Bridge including approaches on Tangri River at Km. 14.500 on NH-72 (New NH-344) Ambala-Kala Amb Road in the State of Haryana.**

-----  
Executive Engineer, Construction Division (NH), PWD B&R BR. Panchkula द्वारा Work of Construction of Parallel Bridge including approaches on Tangri River at Km. 14.500 on NH-72 (New NH-344) Ambala-Kala Amb Road in the State of Haryana में निर्माण किया जाना है। इस केस में अम्बाला जिले का 0.56 है० वन क्षेत्र प्रभावित होगा। इसमें 118 वृक्ष कटवाए जाएंगे तथा 330 पौधे नष्ट होंगे।

प्रस्ताव में यूजर एजेंन्सी से भूमि की नैट प्रेजेंट राशि 496720/-रु०, प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि 641212/-रुपये व सुपरवाइजरी चार्जिज व अन्य फैलिंग चार्जिज की राशि 121663/-रु० इस प्रकार कुल राशि 1259595/-रु० वसूल किए जाएंगे। इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण मंगलौर, आर०एफ० में करवाया जाएगा।

सलग्न/उपरोक्त

वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला।

पु० क्रमांक:-

दिनांक:-

एक प्रति निम्न को:-

1. Executive Engineer, Construction Division (NH), PWD B&R BR. Panchkula को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन राजिक अधिकारी, नारायणगढ़, नारायणगढ़ को उनके पत्र क्र० 225 दि० 24.06.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला।